राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक एफ.15(ग)पीडी/डीएलबी/SUH-15/पार्ट–सी/2020/31546–31742 दिनांक: 22-06-021

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निकाय समस्त।

विषय :– कोरोना–19 महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत कोविड़–19 के कारण विधवा महिलाओं, निराश्रित/असहाय बालक/बालिकाओं को DAY-NULM योजना के अंतर्गत संचालित आश्रय स्थलों में आश्रय प्रदान करने के संबंध में।

उपरोक्त विषान्तर्गत लेख है राज्य सरकार द्वारा कोविड़ –19 (वैश्विक महामारी) की द्वितीय लहर के दृष्टिगत कोविड़–19 से निराश्रित/असहाय परिवार में मृत्यु होने की स्थिति में निम्न प्रकार राहत प्रदान करने का निर्णय किया गया है:–

अनाथ बच्चों हेतु –

- कोरोना महामारी से माता–पिता दोनो की अथवा एकलजीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को 'PM Cares for children' के अतिरिक्त 'मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना' के अंतर्गत निम्न लाभ दिया जाना प्रस्तावित है :–
- अनाथ बालक/बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु 1.00 लाख रू का अनुदान।
- 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500/– रू. की सहायता।
- 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5.00 लाख रू. की सहायता।
- 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से दी जायेगी।
- कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा।
- कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु 'अंबेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना' का लाभ दिया जायेगा।
- युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिये जाने में प्राथमिकता से लाभ।

विधवा महिलाओं हेतु –

- 1.00 लाख रू. एक मुश्त Ex Gratia।
- 1500 रू. प्रतिमाह विधवा पेंशन। (सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्त) एवं (सभी आयुवर्ग की महिलाओं को)
- विधवा महिलाओं के बच्चों को 1000 रू. प्रति बच्चा/प्रति माह तथा विद्यालय की पौशाक व पाठ्यपुस्तकों के लिए सालाना 2000 रू. का लाभ दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि पात्र बालक/बालिकाओं एवं विधवा महिलाओं को चिन्हित कर राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करावें।

उपरोक्त के अतिरिक्त निराश्रित हुए अनाथ बालक/बालिकाओं एवं विधवा महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें DAY-NULM योजना के अंतर्गत संचालित स्थाई आश्रय स्थलों में आगामी आदेशों तक आश्रय प्रदान करावें एवं निकाय में संचालित इंदिरा रसोई के माध्यम से प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध करावें। साथ ही यदि निकाय में DAY-NULM योजना के अंतर्गत स्थाई आश्रय स्थल नही हो तो निकटतम निकाय में संचालित आश्रय स्थलों में उपरोक्तानुसार बालक/बालिकाओं एवं विधवा महिलाओं को ठहरने की व्यवस्था करावे।

साथ ही चिन्हित विधवा महिलाओं के लिए DAY-NULM योजना के SM&ID घटक के तहत स्वयं सहायता समुहों का गठन कर उनका प्रशिक्षण व क्षमतावर्धन करवाते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु बैंक ऋण दिलाया जाये। यदि ऐसी महिलाएं पथ विक्रेता के रूप में व्यवसाय करती है, तो उन्हें वेंडिग कार्ड जारी कर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत अनुदानित ऋण एवं वेडिंग मार्केट में व्यवसाय हेतु प्राथमिकता से स्थान उपलब्ध करावे तथा अनाथ बालक/बालिकाओं/विधवा महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ा जावे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अनाथ बालक/बालिकाओं एवं विधवा महिलाओं को चिन्हित कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें एवं इसकी सूचना निदेशालय को भी भिजवाये, साथ ही आश्रय स्थलों में ऐसे बच्चों/महिलाओं के निवास, निःशुल्क भोजन, सुरक्षा एवं पत्र में वर्णित सभी आवश्यक व्यवस्थाए सुनिश्चित करावें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक एफ.15(ग)पीडी/डीएलबी/SUH-15/पार्ट–सी/2020/31743-31753 दिनांकः 22-06-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव–माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सराकर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्थानीय निकाय विभाग।
5. उपनिदेशक–क्षेत्रीय समस्त, स्थानीय निकाय, को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
परियोजना निदेशक